न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम 74 / 2017

धारा–107 दण्ड प्रक्रिया संहिता

अमुल्य खण्डित वगैरह ..... प्रथम पक्ष

बनाम

बाबु खण्डित वगैरह.....द्वितीय पक्ष

आदेश की क्र० सं० एवं तारीख	आदेश	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
12/02/2018	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, बुण्डू के अप्राथमिकी सं०–23 / 2017 दिनांक–11 / 06 / 2017 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा–107 द०प्र०सं० के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई। यह विवाद खाता नं०–1104, प्लॉट नं०–2242, रकवा–07 डी० के अन्दर बने शौचालय को साफ कराने को लेकर उभय पक्ष में हुए मनमुटाव के कारण उत्पन्न हुआ है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है एवं दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। विवाद का मूल कारण विवादित जमीन पर बने शौचालय को लेकर उभय पक्ष में हुआ झगड़ा व आपसी मनमुटाव है। **प्रथम पक्ष गवाही–** प्रथम पक्ष की ओर से गवाह सं०–01 महेश लाहेरी ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष में शौचालय सफाई को लेकर विवाद हुआ है, उभय पक्ष में शौचालय साफ करने में विवाद हुआ था यही मैं सुना था। द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को धमकी चमकी कर रहे थे। लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे। शौचालय कितना दिन पहले बना है और कौन बनाया है इसकी जानकारी नहीं है। किस जमीन में किसके जमीन में शौचालय बना है मुझे मालुम नहीं है, उभय पक्ष में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। प्रथम पक्ष की ओर से गवाह सं०–02 शम्सुद्दीन अंसारी ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि शौचालय को लेकर उभय पक्ष में विवाद है, विवाद की तिथि–11 / 06 / 17 है, शौचालय साफ सफाई को लेकर उभय पक्ष में बकझक हुआ था। प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष बकझक कर रहा था, लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ था। अभी द्वितीय पक्ष प्रथन पक्ष को धमकी चमकी नहीं देता है, शौचालय कहाँ पर है उसे मै नहीं देखा हूँ। शौचालय किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है मुझे नहीं मालुम है। मैं जो भी गवाही दे रहा हूँ सारा सुना हुआ बात को बोल रहा हूँ।	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्ष की ओर से गवाह सं०–03 कार्तिक खण्डित (पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं इस वाद में प्रथम पक्ष हूँ। 20/03/2007 की घटना है, घटना का कारण शौचालय निर्माण है। खतियान में प्लॉट नं०–2242 गोबरधन खण्डित के नाम से दर्ज है, गोबरधन खण्डित मेरे पिताजी थे शौचालय को मेरी माँ बनवाई है, उस समय मैं छोटा था। शौचालय द्वितीय पक्ष के घर से अलग है। द्वितीय पक्ष के लोग मुझसे झगड़ा नहीं किए हैं। शौचालय मेरी माता के द्वारा बनाया गया है इसका कोई सबूत नहीं है, केस होने के बाद उभय पक्ष में धमकी–धमकी नहीं हुआ है। शौचालय को लेकर कोई लड़ाई–झगड़ा उभय पक्ष में नहीं हुआ है शौचालय साफ करने नहीं दिया इसलिए केस किया हूँ।

द्वितीय पक्ष गवाही–

द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह सं०–01 [illegible] ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं उभय पक्ष को जानता हूँ दोनों पक्ष में एक साल के भीतर लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है। अभी भी उभय पक्ष में लड़ाई–झगड़ा नहीं होता है। विवाद का कारण जमीन को लेकर झमेला एवं झंझट है हमको पता नहीं है कि शौचालय के सफाई को लेकर झगड़ा हो रहा है, यह शौचालय कहाँ है मुझे नहीं पता है।

द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह सं०–02 बाबू खण्डित (पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि जमीन पाने के लिए प्रथम पक्ष केस किया है। जिस जमीन के लिए केस प्रथम पक्ष किया है उसको लेकर हमलोगों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। यह जमीन खतियान में डमरू पाईक के नाम से है। डमरू पाईक द्वितीय पक्ष के पूर्वज है, विवादित जमीन में मकान बना हुआ है, उक्त जमीन में शौचालय भी बना हुआ है, शौचालय को हमलोग बनाए हैं, शौचालय अभी चालु स्थिति में है, शौचालय का उपयोग द्वितीय पक्ष के लोग करते हैं। यह विवाद शौचालय साफ करने को लेकर हुआ है।

वाद में प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन, गवाहों की गवाही, विद्वान अधिवक्ताओं के बहस को सुनने व समर्पित कारण पृच्छा के अवलोकन के पश्चात यह प्रतीत होता है कि हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है एवं उभय पक्ष विवादित जमीन पर खतियानी रैयत के वंशज के आधार पर अपना–अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, चूँकि उत्तराधिकारी से संबंधित दस्तावेजों के प्रमाणिकता की जाँच कर निर्णय देने हेतु यह सक्षम न्यायालय नहीं है एवं वाद की कार्यवाही के दौरान उभय पक्ष शांति भंग होने की संभावना की पुष्टि करने में असमर्थ रहे हैं। अतः वाद की कार्रवाई बिना कोई प्रभावी आदेश के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू, राँची।

12/2/18
कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू, राँची।